Date - 23 March 2022

बिहार दिवस

- बिहार **22** मार्च, **2022** को अपना **110**वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस को "बिहार दिवस" के रूप में जाना जाता है।

बिहार दिवस

- यह दिन हर साल **22** मार्च को मनाया जाता है। यह बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है।
- इसी दिन **1912** में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार को बंगाल से अलग कर बनाया गया था।

बिहार

- बिहार, जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- यह क्षेत्रफल के हिसाब से **12**वां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल **94,163** वर्ग किलोमीटर है।
- यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग और दक्षिण में झारखंड से घिरा है।
- इसके तीन मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में मिथिला, मगध और भोजपुर शामिल हैं। राज्य की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू हैं।

बिहार का इतिहास

Yojna IAS

- प्राचीन भारत में बिहार के क्षेत्र को शक्ति, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता था।
- भारत का पहला साम्राज्य, जिसे "मौर्य साम्राज्य" कहा जाता है, की उत्पत्ति मगध से हुई थी।

महिला किसानों को प्रशिक्षण

- महिला किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकों से महिलाओं को परिचित कराने के लिए 'कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय' और 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' की योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- कृषि और सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) की विभिन्न लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के दिशानिर्देशों के तहत, कम से कम 30% राशि कृषि और संबद्ध योजनाओं 'महिला किसान' की खरीद राज्यों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाती है।

महिला किसानों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं में विशिष्ट घटक हैं:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन,
- तिलहन और ताड़ के तेल पर राष्ट्रीय मिशन,
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन,
- बीज और रोपण सामग्री के लिए उप-मिशन,
- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन और
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन।

महिला किसान अधिकारिता परियोजना:

- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी)' नामक एक विशिष्ट योजना शुरू की गई है।
- यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का एक उप-घटक है।
- यह योजना 2011 से लागू है।

उद्देश्य:

- महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित निवेश करके महिलाओं को सशक्त बनाना, साथ ही ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का निर्माण करना।

कार्यान्वयन:

- कार्यक्रम को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के माध्यम से परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है।

Yojna IAS

महिला किसान को बढ़ावा देने की जरूरत:

- भारत की कृषि सहायता प्रणाली में महिलाओं को अक्सर खेतिहर मजदूरों और किसानों के रूप में उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है।
- हालांकि, भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाएं सबसे अधिक उत्पादक कार्यबल हैं, और 80% से अधिक ग्रामीण महिलाएं अपनी आजीविका के लिए कृषि गतिविधियों में लगी हुई हैं।
- लगभग 20 प्रतिशत आजीविका कृषि, महिलाओं के विधवा होने, पुरुषों द्वारा परित्यक्त या 'पुरुष प्रवास' के कारण महिलाओं द्वारा की जाती है।
- अधिकांश महिला मुखिया वाले परिवार विस्तार सेवाओं, किसान सहायता संस्थानों और उत्पादन परिसंपत्तियों जैसे बीज, पानी, ऋण, सब्सिडी आदि तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं।
- कृषि श्रमिकों के रूप में, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

भारत में चीता पुनर्वास कार्य योजना

- आजादी के बाद भारत में विलुप्त हो चुके 'चीता' के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक कार्य योजना शुरू की जा रही है।
- इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 'चीता पुनर्वास कार्य योजना इन इंडिया' शुरू की गई है जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 50 बड़ी बिल्लियों को देश में लाया जाएगा।
- इस कार्य योजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की 19वीं बैठक में लॉन्च किया गया था।

'पुनर्वास' क्या है और चीतों को देश में वापस लाने की क्या आवश्यकता है?

- किसी प्रजाति के 'पुन:प्रवर्तन' का अर्थ है किसी प्रजाति को उस क्षेत्र में छोड़ना जहां वह जीवित रहने में सक्षम है।
- 'बड़ी मांसाहारी प्रजातियों के पुनर्वास' को संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की रणनीति के रूप में मान्यता दी गई है।
- चीता, एकमात्र बड़ा मांसाहारी, अत्यधिक शिकार के कारण ऐतिहासिक काल से मुख्य रूप से भारत में विलुप्त हो गया है।
- भारत, वर्तमान में, नैतिक और पारिस्थितिक कारणों से अपनी खोई हुई प्राकृतिक विरासत को बहाल करने पर विचार करने के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- चीता (Acinonyx jubatus – Acinonyx jubatus), बिल्ली की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। इसके पूर्वजों का पता 50 लाख साल पहले 'मियोसीन युग' से लगाया जा सकता है।
- चीता दुनिया का सबसे तेज़ स्थलीय स्तनपायी भी है।
- इसे IUCN रेड लिस्टेड स्पीशीज़ में 'असुरक्षित' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- देश में बची 'आखिरी चित्तीदार बिल्ली' की 1947 में छत्तीसगढ़ में मौत हो गई। बाद में, चीता को वर्ष 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।

Yojna IAS

- एशियाई चीता को IUCN रेड लिस्ट द्वारा "गंभीर रूप से लुप्तप्राय" प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और माना जाता है कि यह ईरान में एकमात्र प्रजाति बची है।

भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम:

- 'चीता पुनर्वास परियोजना' सात साल पहले देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 260 करोड़ रुपये के परिव्यय से तैयार की गई थी।
- भारत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के 'श्योपुर' और 'मुरैना' जिलों में विस्तारित 'कुनो राष्ट्रीय उद्यान' में चीतों को फिर से बसाने की योजना बनाई है।
- यह संभवत: दुनिया की पहली 'अंतरमहाद्वीपीय चीता हस्तांतरण परियोजना' है।

विलुप्त होने का कारण:

- विलुप्त होने के सभी कारणों का स्रोत मानवीय हस्तक्षेप से पता लगाया जा सकता है। मानव-वन्यजीव संघर्ष, निवास स्थान की हानि और भोजन के रूप में शिकार करने के लिए जानवरों की कमी और अवैध तस्करी जैसी समस्याओं के कारण चीतों का विलुप्त होना हुआ है।
- जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव आबादी ने इन समस्याओं को और भी बदतर बना दिया है।
- वन्यजीवों के लिए उपलब्ध भूमि में कमी के साथ, जिन प्रजातियों को अधिक क्षेत्रीय सीमा की आवश्यकता होती है, जैसे कि चीता, को अन्य जानवरों और मनुष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और अंतरिक्ष को लेकर संघर्ष करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2013 के आदेश में, भारत में और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीतों को बसाने की योजना को रद्द कर दिया।
- मध्य प्रदेश के 'कुनो राष्ट्रीय उद्यान' को पहले ही तेंदुओं और बाघों के आवास के रूप में पहचाना जा चुका है, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, इस स्थल को एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए भी निर्धारित किया गया है। इसलिए, इन आवासों में शीर्ष शिकारी की भूमिका निभाने के लिए अफ्रीकी चीतों की आवश्यकता नहीं है।
- पिछले साल (2021), सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से भारतीय आवासों में अफ्रीकी चीतों को पेश करने के प्रस्ताव पर सात साल की लंबी रोक हटा दी।

Swadeep Kumar

Yojna IAS